संख्या- **11 /2017**/423**/33-3-2017-10**जी.आई**./2015**

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-**3** लखनऊ दिनांक 21 मार्च, **2017**

विषय- वर्ष **2017-18** हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन सम्बंधी मार्गनिर्देशों एवं प्रिया-साफ्ट वर्ष **2015-16** में पर वार्षिक पुस्तिका बंदी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त के सम्बंध मुख्य सचिव, उ**0**प्र**0** द्वारा शासनादेश सं**0-5/2017/158/ 33-3-2016-10** जी.आई**./2015**, दिनांक **23** जनवरी **2017** से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष **2017-18** की ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार किये जाने एवं उनको प्लान-प्लस पर अपलोड किए जाने के साथ प्रिया-साफ्ट के संचालन सम्बंधी निर्देश निर्गत किए गए है।**(**छाया प्रति संलग्न**)**

इस सम्बंध पुनः संज्ञानित कराना है कि ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं तैयार की गयी विकास योजना है जो कि ग्राम सभा की बैठक के माध्यम से जन समुदाय की आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण करते हुए विभिन्न स्रोतों एवं योजनाओं से उपलब्ध होने वाले संसाधनों को समेकित कर सहभागी नियोजन द्वारा तैयार की जाती है। इस प्रकार से तैयार की गयी वार्षिक कार्ययोजनाओं को पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के साफ्टवेयर-'प्लान-प्लस' पर अंकित किया जाता है, तत्पश्चात् क्रियान्वयन सम्बन्धित साफ्टवेयर-'एक्शन-साफ्ट' पर प्रत्येक वर्क आई.डी. के सापेक्ष तकनीकी तथा प्रशासनिक अनुमोदन के उपरान्त भौतिक और वित्तीय प्रगति अंकित की जाती है तथा 'प्रिया-साफ्ट' साफ्टवेयर पर कार्यों का लेखा-जोखा रखा जाता है।

उक्त रूप से कार्यो का संचालन प्रत्येक वर्ष एक अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में प्रदेश में किया जाना है, जिसकी सफलता हेतु निम्नांकित बिन्दु पर कार्य किये जाने की आवश्यकता है-

1- चूंकि पंचायतों द्वारा प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किया जाना, एक सतत् प्रक्रिया है एवं वर्ष **2017-18** की विकास योजनाओं हेतु पंचायतों द्वारा 'नियोजन

Search easily on www.bhartiyashashanadesh.org
http://shasanadeshup.nic.in

प्रक्रिया' जनवरी **2017** से प्रारम्भ की जानी थी, ताकि **31** मार्च **2017** तक समस्त पंचायतों की विकास योजनायें ऑनलाइन साफ्टवेयर 'प्लान-प्लस' पर अपलोड की जा सके, परन्तु प्रदेश में लोक सभा चुनाव के कारण यदि ग्राम सभा के आयोजन एवं योजनाओं के तैयार किए जाने का कार्य नही किया गया है तो समस्त पंचायतों द्वारा **30** अप्रैल **2017** तक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कर उसे प्लान-प्लस साफ्टवेयर पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर दिया जाए।

2- यहॉ पर योजना निर्माण हेतु नियोजन की प्रक्रिया से आशय दिनांक **29** सितम्बर, **2015** द्वारा शासन से निर्गत मार्गनिर्देशों एवं अन्य क्रियान्वयन सम्बन्धी आदेशों के अनुरूप वातावरण सृ्जन, समस्याओं/आवश्यकताओं का चिन्हीकरण, ग्राम सभा की बैठक का आयोजन, वित्तीय संसाधनों (ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं **14**वें केन्द्रीय वित्त आयोग एवं स्वयं द्वारा अर्जित आय) की उपलब्धता के अनुरूप प्राथमिक आवश्यकताओं को चयनित करते हुए ड्राफ्ट योजना तैयार किया जाना, योजना में लिये गये कार्यों पर अनुमानित व्यय के अनुसार अन्तिम रूप से तैयार की गयी कार्ययोजना पर ग्राम सभा की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये जाने से है।

3- योजना तैयार करने में उक्त रूप से जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार जनपद स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक गठित विभिन्न समितियों/ रिसोर्स ग्रुप के साथ ग्राम प्रधान, सचिव, खण्ड स्तरीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मियों की अहम् भूमिका है, जो कि ग्राम सभा की बैठक के समय उपस्थित रहकर ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उठायी गयी समस्याओं/आवश्यकताओं के पूर्ण रूप से निराकरण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे एवं पंचायतों को हस्तान्तरित कार्यो के अनुरूप ही सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव को भी योजना में सम्मिलित करेंगे।

4- इस प्रकार से तैयार की गयी योजना को 'प्लान-प्लस' पर अपलोड करने के पश्चात् कार्यवार प्राक्कलन तैयार करने एवं तकनीकी अनुमोदन हेतु खण्ड स्तर पर उपलब्ध तकनीकी कर्मी यथा-जे.ई.एम.आई. एवं जे.ई.आर.ई.डी., मण्डी परिषद, जिला पंचायत के उपलब्ध तकनीकी कर्मियों के साथ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अन्य नियमित तकनीकी कर्मियों को भी नामित किया जा सकता है। शासन द्वारा **22** नवम्बर, **2016** के शासनादेश से रू. **2** लाख तक के कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार ग्राम सभा को तथा कार्ययोजना की स्वीकृति पूर्ण रूप से ग्राम सभा की खुली बैठक में लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, शेष रू. **2** लाख से अधिक मूल्य के कार्यों हेतु पंचायत राज अधिनियम-**1947** के नियम **154** में यथावश्यक संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

5- इस प्रकार से ग्राम पंचायत विकास योजना में लिये गये कार्यो की यूनिक वर्क आई.डी. एक्शन-साफ्ट साफ्टवेयर पर जारी कराकर उसके सापेक्ष प्रिया-साफ्ट साफ्टवेयर पर बाउचर इन्ट्री के माध्यम से व्यय धनराशि का लेखा-जोखा रखेगी।

6- उक्त रूप से वर्ष **2017-18** में एक्शन-साफ्ट एवं प्रिया-साफ्ट पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने से पूर्व आवश्यक होगा की ग्राम पंचायतें वर्ष **2016-17** की वार्षिक कार्यो की यूनिक वर्क आई.डी., प्लान-प्लस तथा एक्शन-साफ्ट साफ्टवेयर पर जारी कराकर उसके सापेक्ष प्रिया-साफ्ट साफ्टवेयर पर बाउचर की इन्ट्री के माध्यम से व्यय धनराशि का लेखा-जोखा भी ऑनलाइन अंकित करें। चूंकि भारत सरकार द्वारा राज्य को प्राप्त होने वाली **14**वें वित्त आयोग की धनराशि के सापेक्ष व्यय का अनुश्रवण भी भारत सरकार के स्तर पर उक्त साफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। अतः **14**वें वित्त आयोग की अनुदान राशि राज्य को निर्बाधित रूप से प्राप्त हो सके। इसके लिये आवश्यक होगा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों की वर्ष **2015-16** की प्रिया-साफ्ट पर वार्षिक पुस्तिका शत-प्रतिशत बन्द करने तथा वर्ष **2016-17** की प्लान-प्लस/एक्शन साफ्ट साफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक कार्य की वर्क आई.डी. के सापेक्ष व्यय की अद्‌यतन बाउचर इन्ट्री, प्रिया साफ्ट पर ऑनलाईन अनिवार्य रूप से फ्रीज करा दी जायें।

7- ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत जिन जनपदों में खण्ड स्तर के समस्त प्रशिक्षणों एवं ग्राम सभा का आयोजन पूर्ण नहीं किया गया है वे नयी योजना को तैयार करने से पूर्व समस्त हित धारकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य पूर्ण कर ले।

8- कतिपय जनपदों में यह बिन्दु प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायत विकास योजना का प्रशिक्षण प्रदान किये जाने में जनपदों में प्रदान किये गए आदेशों का परिपालन नही किया है, अतः पुनः यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि यदि किन्हीं जनपदों में किसी प्रशिक्षण मद की कोई धनराशि शेष है तो उसको आज के परिदृश्य के अनुरूप ही उसी मद में पुनः हित-धारकों के प्रशिक्षण में व्यय कर, सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र, मार्च **2017** तक निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को प्रेषित् कर दिया जाए।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि वर्ष **2017-18** हेतु समस्त ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजनाएं तैयार करते हुए उन्हें **30** अप्रैल **2017** तक प्लान-प्लस पर अपलोड किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण करा ली जाए तथा स्वयं के स्तर से साप्ताहिक बैठक कर जनपद स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी तथा खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी(पं0) द्वारा प्लान-प्लस, एक्शन-साफ्ट तथा प्रिया-साफ्ट साफ्टवेयर पर की जा रही इन्ट्री की समीक्षा करते हुए अपने जनपद की सभी ग्राम पंचायतों की वर्ष **2015-16** की प्रिया साफ्ट पर वार्षिक पुस्तिका शत-प्रतिशत बन्द करने तथा वर्ष **2016-17** की प्लान-प्लस/एक्शन-साफ्ट

Search easily on http://Shashadeshup.nic.in bhartiyashasanadesh.org

साफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक कार्य की वर्क आई.डी. के सापेक्ष व्यय की अद्‌यतन बाउचर इन्ट्री, प्रिया-साफ्ट पर ऑनलाइन अनिवार्य रूप से फ्रीज कराने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि ऑनलाइन इन्ट्री हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) द्‌वारा आवश्यक अभिलेख सम्बन्धित जिला परियोजना प्रबन्धक एवं खण्ड स्तर पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों को अवश्य उपलब्ध करा दिये जायें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री जितेन्द्र शंकर माथुर, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
6. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
7. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।
8. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ.प्र. शासन।
9. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
10. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ.प्र. शासन।
11. प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ.प्र. शासन।
12. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ.प्र. शासन।
13. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ.प्र. शासन।
14. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन।
15. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन।
16. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
17. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्‌योगिकी विभाग, उ.प्र.।
18. निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।
19. निदेशक, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट), लखनऊ।

Search.easily.bharatiyashasanadesh.org
http://shasanadeshup.nic.in

20. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।

21. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं.), उ.प्र.।

22. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र.।

23. समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उ.प्र.।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasanadeshup.nic.in
Search easily on www.bhartiyashashanadesh.org